अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :– अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :– 81/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615 / रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र कु० यास्वी वो अंचल निरीक्षक श्री नारदेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बहुआ .... थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/42 दाग नं0 32 रकवा 07-09-13 किस्म परती कदीम श्री विश्वनाथ सिंह पिता भदारी सिंह ... साकिन.................के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री .... विश्वनाथ सिंह को दिनांक 30/7/16 समय 11:00 AM पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

(हस्ताक्षर) 20/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/7/16 अभिलेख उपस्थापित।

विश्वनाथ सिंह पिता भदारी सिंह के पुत्र श्री श्यामाकांत सिंह उपस्थित। इन्होंने भूमि प्राप्त करने संबंधी जमींदार का हुकुमनामा, Mutation की छायाप्रति एवं अनुमंडल पदा० के Rent fixation की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। निदेश दिया गया कि हुकुमनामा

sandha

जो ओरिजनल (?) से हिंदी में अनुवाद करके दाखिल करें। साथ ही यह भी बताया गया कि इनके द्वारा सम्पूर्ण जमीन ECL राजमहल परियोजना द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। अभिलेख दिनांक 11.8.16 को रखें।

30/7/16

11/8/16 ~~अभिलेख उपस्थापित / आवेदक ... इनके द्वारा ... हिन्दी अनुवाद ... समर्पित किया है ... अभिलेख ... को रखें। दिनांक ... को रखें।~~

11/8/16
अं० अ०

31/7/2020 अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

अं० अ०

05.01.2021 अभिलेख उपस्थापित।
राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया, प्रतिवेदनानुसार अवैध संदेहास्पद पंजी-II रैयत की भूमि सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि ई० सी० एल० ECL के अधिग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत है।
अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित,

अ० अ०
महागामा

अंचल अधिकारी
महागामा